प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 333 / 2023

अनवान : –

1. जगीरराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
2. तेजाराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीगण

बनाम्

1. बलवीर राम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
2. जीताराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
3. सरदारो बाई
4. आलोबाई
5. राजरानी
6. सुखपाल कौर

} पुत्रीयान दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा

7. बालाराम पुत्र बिल्लो बाई पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 23.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 66 / 66 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 व खाता स0 98 / 98 की कुल 14.2820 हैक्ट भूमि में से 253 / 7141 हिस्सा भूमि वादी के पिता दाराराम पुत्र हाड़ीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दाराराम पुत्र हाड़ीराम जो वादी का पिता है। दाराराम पुत्र हाड़ीराम का देहान्त हो चुका है तथा वादी की माता हुक्ती बाई का भी देहानत हो चुका है। दाराराम पुत्र हाड़ीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो दाराराम पुत्र हाड़ीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया स0 3 ता 7 जो की वादीगण व प्रतिवादी स0 1 व 2 की बहिन है तथा वादीगण की बहिन बल्लो बाई फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी स0 7 बालाराम है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में मृतक दाराराम का नाम कलमजन किया जाकर इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषण करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण अपने हक हिस्सा कि भूमि जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 जेएसएन खाता स0 66/66 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि मृतक दाराराम के नाम 1/4 हिस्सा भूमि में वादी अकेला 1/8 हिस्सा, वादी स0 2 का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/16 हिस्सा व रोही 20 जेएसएन के खाता स0 98/98 की कुल 14. 2820 हैक्ट भूमि में मृतक दाराराम पुत्र हाडीराम का 253/17141 हिस्सा भूमि में से वादी स0 1 अकेला 1/2 हिस्सा व वादी स0 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 2 अकेला 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। मुताबिक इकबाल जवाब दावा वाद वादी अनुतोष किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा 20 जेएसएन सम्वत 2072–75 खाता स0 66/66 ईएक्सपी–1 जमाबंदी रोही मौजा 20 जेएसएन जमाबंदी सम्वत 2072–2075 खाता स0 98/98 ईएक्सपी–2, मृत्यु प्रमाण पत्र दाराराम ईएक्सपी–3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बिल्लोबाई ईएक्सपी–4, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र दानीबाई ईएक्सपी–5, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–6, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 आदि दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की [illegible] के पिता दाराराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त [illegible] के बाद वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 के हक हि[illegible] वादीगण स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है बाद हक त्याग वाद [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा की भूमि है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 66/66 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/4 व खाता स0 98/98 की कुल 14.2820 हैक्ट भूमि में से 253/7141 हिस्सा भूमि वादी के पिता दाराराम पुत्र हाड़ीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वर्तमान में दाराराम पुत्र हाड़ीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ईएक्सपी–3 से स्पष्ट साबित है कि दाराराम का देहान्त हो चुका है उनकी फौतदगी के बाद वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है। प्रतिवादी स0 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। तवादी द्वारा प्रस्तुत वारिसानामा एवं शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक दाराराम पुत्र हाड़ीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर खाता स0 66/66 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दाराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक दाराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को 1/8 हिस्सा भूमि, वादी स0 2 को 1/16 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी स0 2 को 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 98/98 की कुल 14.2820 हैक्ट भूमि में 253/1741 हिस्सा भूमि दाराराम पुत्र हाडीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकाड है, में मृतक दाराराम पुत्र हाडीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को 1/2 हिस्सा, वादी स0 2 को 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 2 को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:07 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांवं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 333 / 2023

अनवान : –

1. जगीरराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
2. तेजाराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।

– वादीगण

बनाम्

1. बलवीर राम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
2. जीताराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
3. सरदारो बाई
4. आलोबाई
5. राजंरानी

} पुत्रीयान दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा

6. सुखपाल कौर
7. बालाराम पुत्र बिल्लो बाई पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी वार्ड स0 03 रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा हरियाणा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 333 सन 2023 निर्णय दिनांक 23.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर खाता स0 66/66 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दाराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक दाराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को 1/8 हिस्सा भूमि, वादी स0 2 को 1/16 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी स0 2 को 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 98/98 की कुल [illegible] हैक्ट भूमि में 253/1741 हिस्सा भूमि दाराराम पुत्र हाडीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक दाराराम पुत्र हाडीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 को 1/2 हिस्सा, वादी स0 2 को 1/4 हिस्सा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी स0 2 को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:07 IST
Reason: SelfAttested